


सूचना

मैनुवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट, 1938 की धारा 9 और उपधारा 7 के प्राविधानानुसार 8वीं वाहिनी भा०ति०सी०पु० बल गौचर जिला-चमौली उत्तराखण्ड में फायरिंग रेंज की अधिसूचना आगामी 5वर्ष हेतु निर्गत होनी है जिसमें 8वीं वाहिनी के फायरिंग रेंज के निकटतम स्थित ग्राम सभा प्रधान, वार्ड मैम्बरों और ग्रामवासियों को यदि फायरिंग रेंज को अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप में 30 दिन के अन्दर उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग चमौली को सूचित करें।

अन्यथा 30 दिनों के अन्दर सूचना न मिलने पर 8वीं वाहिनी कैम्प परिसर, रावलनगर (उत्तराखण्ड) के फायरिंग रेंज की अधिसूचना उत्तराखण्ड, सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी।


कार्यालयीध्यक्ष

आठवीं वाहिनी, भा०ति०सी०पु०
गौचर (उत्तराखण्ड)

2BC 19112/11/0036/2425